पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 170/2016

अनवान :

कैलाश पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी नूंआ त0 भादरा हाल निवासी निनाण तहसील भादरा।

:— वादी

बनाम

1. मनीराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी नूंआ त0 भादरा ।
2. विजयसिंह पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी नूंआ त0 भादरा।
3. जयवीर पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी नूंआ त0 भादरा।
4. घनश्याम पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी नूंआ त0 भादरा।
5. रूकमा पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी नूंआ त0 भादरा।
6. सुमन पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी नूंआ त0 भादरा।
7. आईसीआईसीआई बैंक शाखा भादरा जरियें शाखा प्रबन्धक।
8. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा।
9. उपपंजीयक भादरा जिला हनुमानगढ़।

:— प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट—ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुन्शीराम गोस्वामी की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा नूंआ के खाता सं0 164/144 के खसरा सं0 43 की 6.185है0, खसरा सं0 322 की 5.413है0, खसरा सं0 333 की 4.199है0, खसरा सं0 363 की 7.032है0, खसरा सं0 365 की 3.731है0 खसरा सं0 427 की 7.803है0 कुल खसरा 6 की कुल 34.363है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 मनीराम के नाम से 1018—3/4 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। उक्त वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 मनीराम अकेले की बजाय वादी कैलाश, प्रतिवादी सं0 1 मनीराम, प्रतिवादी सं0 2 विजयसिंह, प्रतिवादी सं0 3 जयवीर, प्रतिवादी सं0 4 घनश्याम, प्रतिवादी सं0 5 रूकमा, प्रतिवादी सं0 6 सुमन को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 11.10.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
(फास्ट ट्रेक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner